



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

13 चैत्र 1940 (श0)
(सं0 पटना 305) पटना, मंगलवार, 3 अप्रील 2018

श्रम संसाधन विभाग

अधिसूचनाएं
28 मार्च 2018

एस0 ओ0 167, दिनांक 3 अप्रील 2018—न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा-5 के साथ वर्णित उक्त अधिनियम की धारा-3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल अनुबद्ध अनुसूची-1(ब)के स्तंभ-2 में अंकित अनुसूचित नियोजनों में नियोजित विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए निर्धारित / पुनरीक्षित न्यूनतम मजदूरी के दरों पर परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता लागू करने की घोषणा करते हैं। अनुसूची-1(ब) के स्तंभ-02 में उल्लिखित नियोजनों में नियोजित कर्मचारियों पर परियोज्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, उक्त अनुसूची-1(अ) के स्तंभ-01 के प्रदर्शित मासों के हेतु उक्त अधिनियम की धारा-2 के खंड (डी) के प्रयोजन के निमित्त अनुसूची 1(अ) के स्तंभ-04 में यथा प्रदर्शित रूप में होंगे।

अनुसूची-1 (अ)

माह एवं वर्ष	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार वर्ष (2001-100)	आधार वर्ष परिवर्तन हेतु लिंक फैक्टर	परिवर्तित मूल्य सूचकांक आधार वर्ष (1960-100)
जुलाई, 2017	285	4.63 X 4.93	6505.38
अगस्त, 2017	285	4.63 X 4.93	6505.38
सितम्बर, 2017	285	4.63 X 4.93	6505.38
अक्टूबर, 2017	287	4.63 X 4.93	6551.03
नवम्बर, 2017	288	4.63 X 4.93	6573.85
दिसम्बर, 2017	286	4.63 X 4.93	6528.20
योग :-			39169.22

औसत - $39169.22 \div 6 = 6528.20$

अनुसूची-1 (ब)

1. अनुसूचित नियोजन का नाम- **विक्रय प्रोत्साहन नियोजन**
अधिसूचना संख्या-4845, 4846 तिथि-18.09.2017
गजट संख्या-857 दिनांक 19.09.2017

अनुसूची-II

क्र० सं०	कामागारों की कोटि	दिनांक 01.12.2016+01.04.2017 + 01.10.2017 से निर्धारित न्यूनतम मजदूरी की दरें (रुपये में)	परिवर्तनशील महंगाई भत्ता की राशि जो कि दिनांक 01.04.2018 से प्रभावी होगी	01.04.2018 से लागू कुल मजदूरी की दरें। (स्तंभ 3+4)
1	2	3	4	5
1	अकुशल	217.00+4.00+4.00=225.00	7.00	232.00 प्रतिदिन
2	अर्द्धकुशल	225.00+5.00+5.00=235.00	7.00	242.00 प्रतिदिन
3	कुशल	278.00+6.00+6.00=290.00	9.00	299.00 प्रतिदिन
4	अतिकुशल	339.00+7.00+7.00=353.00	11.00	364.00 प्रतिदिन
5	पर्यवेक्षीय/लिपिकीय	6277.00+126.00+128.00 =6531.00	196.00	6727.00 प्रतिमाह

परिवर्तनशील महंगाई भत्ता की दरें अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के उस औसत बिन्दु पर आधारित होगा जिस पर उपर्युक्त अनुसूचित नियोजनों में परिवर्तनशील महंगाई भत्ता की दरें निर्धारित/पुनरीक्षित की गई हैं। उपर्युक्त सूचकांक में यथास्थिति वृद्धि अथवा हास के अनुसार न्यूनतम मजदूरी की दरों में उपर्युक्त अनुसूची के स्तंभ-4 में अंकित दर से वृद्धि या कमी की जायेगी और उसे परिवर्तनशील महंगाई भत्ता का अंश समझा जायेगा। परन्तु यदि सूचकांक उस बिन्दु से कम हो जाय जिस पर न्यूनतम मजदूरी की दरें निर्धारित/पुनरीक्षित की गई हो तो निर्धारित/पुनरीक्षित न्यूनतम मजदूरी में कोई परिवर्तन नहीं होगा। उक्त परिवर्तनशील महंगाई भत्ता भुगतान उपर्युक्त दर से जुलाई-दिसम्बर,2017 के औसत के आधार पर अप्रैल,2018 से देय होगा और इसके बाद प्रत्येक छः महीने के औसत अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर परिवर्तनशील महंगाई भत्ता की राशि में वृद्धि अथवा कमी संबंधित छमाही के तीन महीने बाद से लागू होगा।

(सं० 5/एम0डब्लू0-405/07 श्र0सं0-1461)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

मोहन रजक,

अवर सचिव।

28 मार्च 2018

एस0ओ0 168 एस0ओ0 167, दिनांक 3 अप्रैल 2018 का अंग्रेजी भाषा में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

(सं० 5/एम0डब्लू0-405/07 श्र0सं0-1462)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

मोहन रजक,

अवर सचिव।

The 28th March 2018

S.O. 167, Dated 3rd April 2018—In exercise of the powers conferred by section -3 of the Minimum Wages Act, 1948 (XI of 1948), read with the clause (B) of sub-section(1) of Section-5 of the said act, the Governor of Bihar is pleased to introduce the formula for Variable Dearness Allowance in the minimum rates of wages fixed/ revised for the different categories of employees employed in the scheduled employments mentioned in column-02 of schedule 1(B) here to appended for the months shown in column-1 of the said schedule shall be shown in column-04 of the schedule 1(A) for the purpose of clause (d) of section -02 of the said Act.

SCHEDULE -1 (A)

Month & Year	Index N0 Base Year (2001-100)	Link Factor Change for base year	Changed Index No. for base year (1960-100)
1	2	3	4
July,2017	285	4.63 X 4.93	6505.38
August,2017	285	4.63 X 4.93	6505.38
September,2017	285	4.63 X 4.93	6505.38
October,2017	287	4.63 X 4.93	6551.03
November,2017	288	4.63 X 4.93	6573.85
December,2017	286	4.63 X 4.93	6528.20
Total			39169.22
Average :-			39169.22 ÷ 6 = 6528.20

SCHEDULE -1 (B)

1- Name of Employment :- Sales Promotion Employment

Notification No:- 4845, 4846 date:-18-09-2017

Gazette No. - 857 dated :-19-09-2017

SCHEDULE -II

Sl. No	Categories of Worker	From Dated- 01.12.2016+01.04.2017+ 01.10.2017 Minimum Wages Fixed (In. Rs.)	Amount of V.D.A. which is effective from the date- 01.04.2018 (In Rs.)	Total rates of wages effective from the date 01.04.2018 Column (3+4)
1	2	3	4	5
1	Unskilled	217.00+4.00+4.00=225.00	7.00	232.00 Perday
2	Semi Skilled	225.00+5.00+5.00=235.00	7.00	242.00 Perday
3	Skilled	278.00+6.00+6.00=290.00	9.00	299.00 Perday
4	Highly Skilled	339.00+7.00+7.00=353.00	11.00	364.00 Perday
5	Supervisory/ Clerical	6277.00+126.00+128.00=6531.00	196.00	6727.00 Permonth

These rates of Variable Dearness Allowance will be based on the average of All India Consumer Price Index on which the minimum rates of wages has been fixed/revised in the above scheduled employment. There will be increase or decrease in wage of rates shown in column -4 with rise or fall as the case may be in aforesaid index of the above scheduled employment and will be deemed as Variable Dearness Allowance components . But even if the Index fall below the point on which minimum rates of wages have been fixed / revised there will not be any reduction in the minimum wages fixed/revised. The payment of variable Dearness Allowance on the basis of average index of **July-December,2017** will be payable at the aforesaid rates from **April,2018** and thereafter increase or decrease in the amount of variable Dearness Allowance will be based on the average of All India Consumer Price Index number for every six months and will be applicable after the expiry of three months after said period of six months.

(No-5/M.W.- 405 /07 L&R - 1461)
By the order of the Governor of Bihar,
MOHAN RAJAK,
Under Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 305-571+100-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>